**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1574**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाया जाना**

**1574. श्री मनीष गुप्ताः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कच्चे तेल के उत्पादन में विकासोन्मुखी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए विकासशील श्रेणी-2 और श्रेणी-3 बेसिनों में बड़े निवेशों की आवश्यकता है, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए निवेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेल उपकर में कमी और रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की पहल की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क): अन्‍वेषण कार्यकलापों में वृद्धि करने और तेल तथा गैस के घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने के लिए श्रेणी-II और III तलछटीय बेसिनों के गैर-अन्‍वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में निवेश अपेक्षित है। पिछले 5 वर्षों में, उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदा (पीएससी) व्‍यवस्‍था के तहत प्रचालकों द्वारा इन बेसिनों में लगभग 550 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया गया है।

(ख): सरकार ने निजी कंपनियों द्वारा कच्‍चे तेल के उत्‍पादन में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक परिवर्तनकारी नीतिगत उपाय/पहलें की हैं जिनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं :-

i. हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदा (पीएससी) व्‍यवस्‍था के तहत रियायतों, अवधि बढ़ाए जाने और स्‍पष्‍टीकरणों के लिए नीति, 2014

ii.      खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015

 iii.      हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016

 iv.      उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाने के लिए नीति, 2016 और 2017

 v.      कोल बैड मिथेन से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए नीति, 2017

 vi.      नेशनल डाटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017

 vii.      तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन

viii.      हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन: आकलन

ix.      एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्‍लॉकों में उत्‍पादन हिस्‍सेदारी   संविदाओं की कार्य प्रणाली को व्‍यवस्थित बनाने के लिए नीतिगत ढांचा, 2018

x.       तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्‍साहित करने के लिए नीति, 2018

xi.      मौजूदा उत्पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं, कोल बेड मिथेन संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्‍वेषण और दोहन हेतु नीतिगत ढांचा, 2018

xii.      उच्‍च दाब-उच्‍च तापक्रम (एचपी-एचटी) रिजर्वायर्स तथा गहरे समुद्री और अत्‍यधिक गहरे समुद्री क्षेत्रों (सीमा सहित) से प्राकृतिक गैस के उत्‍पादन, सीबीएम ब्‍लॉकों से उत्‍पादित गैस,  हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग  नीति (एचईएलपी) तथा खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति के अंतर्गत दिए गए ब्‍लॉक दिनांक 01 जुलाई, 2018 तक अथवा उसके बाद पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (एनईआर) से उत्‍पादित वाणिजियक गैस तथा ऐसी नई गैस खोजों के संबंध में मूल्‍य निर्धारण की आजादी के साथ साथ विपणन का अधिकार देना, जिनकी क्षेत्र विकास योजना का अनुमोदन फरवरी, 2019 के बाद हुआ है।  प्रशासित मूल्‍य तंत्र व्‍यवस्‍था (एपीएम) क्षेत्रों से अतिरिक्‍त गैस उत्‍पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से, सामान्‍य कारोबारी परिदृश्‍य से अतिरिक्‍त उत्‍पादन किए जाने पर लागू रायल्‍टी के 10% तक रायल्‍टी में कटौती करने की भी मंजूरी दी गई है।

 xiii. इसके अलावा, सरकार ने अन्‍वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बेसिनों के गैर-अन्‍वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने के उद्देश्‍य से फरवरी, 2019 में अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित कर दिया है। नीतिगत सुधारों का लक्ष्‍य अन्‍य बातों के साथ-साथ कार्य कार्यक्रम को और ज्‍यादा प्राथमिकता देते हुए अन्‍वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, सरकार के साथ बगैर किसी उत्‍पादन अथवा राजस्‍व हिस्‍सेदारी के श्रेणी II और III के तलछटीय बेसिनों के संबंध में अन्‍वेषण ब्‍लॉकों की बोली लगाना है।  इसके अलावा, किए जाने वाले सुधारों में राजकोषीय और संविदागत शर्तों को सरल बनाने, राजकोषीय प्रोत्‍साहन दे कर खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने, विपणन और मूल्‍य निर्धारण की आजादी देते हुए गैस उत्‍पादन बढ़ाने की परिकल्‍पना की गई है। इस नीति में नामांकन क्षेत्रों में उत्‍पादन बढ़ाने की पद्धतियों हेतु सहयोग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों को काम करने की और ज्‍यादा आजादी देने की भी व्‍यवस्‍था की गई है। अनुमोदन की प्रक्रियाओं को व्‍यवस्‍थि‍‍त करना तथा इलै‍क्‍ट्रोनिक एकल खिड़की व्‍यवस्‍था के साथ आसानी से कारोबार बढाना भी नीतिगत सुधारों का एक महत्‍वपूर्ण पहलू है।

(ग): भारत सरकार ने वर्धित निकासी (ईआर), उन्‍नत निकास (आईआर) तथा गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्‍पादन पद्धतियों को अपनाने के लिए राजकोषीय प्रोत्‍साहन देने के उद्देश्‍य से “तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्‍साहित करने के लिए नीतिगत ढांचे” को अधिसूचित किया है। नी‍ति के तहत तेल उत्‍पादन के लिए राजकोषीय प्रोत्‍साहनों में ईआर परियोजना के निर्दिष्‍ट कूपों से कच्‍चे तेल के वृद्धिपरक उत्‍पादन पर 50% तेल उद्योग विकास (ओआईडी) उपकर माफ करना शामिल है। आईआर परियोजना के लिए 50% उपकर माफ करने का प्रोत्‍साहन पूरे उत्‍पादन पर उपलब्‍ध होगा। निर्धारित निकासी दर पार करने के बाद और गैर-पारंपरिक तेल उत्‍पादन परियोजना के लिए 50% उपकर माफ करने का प्रोत्‍साहन पूरे वाणिज्यिक उत्‍पादन पर उपलब्‍ध होगा। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत घरेलू हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण को बढ़ावा देने के लिए नई बेसिन श्रेणी-वार रियायती रॉयल्‍टी दरें शुरू की गई हैं जिनका ब्‍यौरार निम्‍नानुसार है :-

|  |  |
| --- | --- |
|   | कच्‍चे तेल पर रॉयल्टी (% में) |
| बेसिन श्रेणी | जमीनी | उथले समुद्री | गहरे समुद्री | अत्‍यधिक गहरे समुद्री |
|   |   |   | पहले 7 वर्ष | 7 वर्ष के बाद | पहले 7 वर्ष | 7 वर्ष के बाद |
| एचईएलपी के तहत मौजूदा रॉयल्‍टी दरें | 12.5 | 7.5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| श्रेणी-I बेसिनों के तहत नई रॉयल्‍टी दरें | 11.25 | 6.75 | 0 | 4.5 | 0 | 1.8 |
| श्रेणी-II बेसिनों के तहत नई रॉयल्‍टी दरें | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1.6 |
| श्रेणी-III बेसिनों के तहत नई रॉयल्‍टी दरें | 8.75 | 5.25 | 0 | 3.5 | 0 | 1.4 |

\*\*\*\*